हुजूर अदालतः— उपखण्ड अधिकारी मुकाम.:— राजाखेडा

रनवीर सिंह बनाम लाखनसिंह

किस्म मुकदमाः— प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA नम्बर 150 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सालयान को दिनांक 21.09..2022 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 2023, 2038, 2340/2036, 2341/2036 स्थित ग्राम धारापुरा तहसील राजाखेडा पर रहन, वय—मुन्तकिल नहीं करें, और न ही सायल के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा पैदा करें, रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21.09..2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। तहसीलदार राजाखेडा को वास्ते तामील परवाना जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.09..2022 को पेश हो। [signature]	
21/9/22	वकील सायल उप० पत्रा० वास्ते इंतजार तलबी दि० 07/10/22 को पेश हो। [signature]	
24/11/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर खारिज करा लिया है। अतः मूल वाद के खारिज होने की रोशनी में यह प्रार्थना पत्र 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा	रनवीरसिंह